12/04/23

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय प.। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि डिक्रीदार अमृतलाल के वारिसान जगदीश पुत्र अमृतलाल जाति श्रीमाली ब्राम्हण कौम त्रिपाली बीजापुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर इस न्यायालय द्वारा राजस्व विविध प्रकरण सं. 31/99 अनवान अमृतलाल उर्फ अमरचन्द बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली मन्तर्गत धारा 136 L.R.A में दिनांक 14.03.2016 को पारित आदेश की पालना कराए जाने का निवेदन किया। इस संबंध में न्यायालय द्वारा तहसीलदार बाली से रिपोर्ट तलब किए जाने पर तहसीलदार बाली द्वारा वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि खेवाई के खसरा नं. 1198 रकबा 1.22 हैक्टर में दर्ज खातेदारान संख्या में अधिक है तथा किस खातेदार के हिस्से से भूमि कम करते हुए किस खातेदार का कितना हिस्सा कम कर प्रार्थी के कितने हिस्से का नामान्तरण करना दायर किया जावे। बिना हिस्सा निर्धारित किए न्यायालय आदेश की पालना में प्रार्थी का नाम दर्ज किया जाना संभव नहीं है। तहसीलदार बाली से उक्त रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात उभय पक्ष वकुलाय को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा वकील प्रार्थी को प्रार्थी परिवार का सजरा प्रस्तुती के निर्देश दिए गए। जिसकी पालना में

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.04.2022 को प्रार्थी परिवार का सजरा पेश किया गया। जिस प्रस्तुत परिवार सजरे की प्रति तहसीलदार बाली को भिजवा कर उक्त सजरे अनुसार दर्ज खातेदारों की हिस्साकसी निर्दिष्ट करते हुए वांछित रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। जिसकी अनुपालना में पटवारी हल्का सेवाडी द्वारा मौके पर पहुंच मौका फर्द तैयार करते हुए वादग्रस्त भूमि के रेकॉर्ड में दर्ज खातेदारान व प्रार्थी परिवार का सजरा तैयार करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक भू. अ./2023/11 दिनांक 06.04.2023 से रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की। प्रस्तुत रिपोर्ट में तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का सेवाडी ने प्रार्थी परिवार की वंश वंशावली अनुसार हिस्सा दर्ज करने के लिए वादग्रस्त भूमि सेवाडी के खसरा नं. 1198 रकबा 1.22 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में वर्तमान रेकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज को दुरस्त करते हुए अमृतलाल पुत्र नरोत्तम का 1/4 हिस्सा हरी पुत्र वरदीचंद हिस्सा 1/8 के स्थान पर हरी पुत्र नाथु 1/4 हिस्सा दर्ज करने तथा मोहन पुत्र रतनलाल 1/12 हिस्सा. बीजाराम पुत्र रतनलाल 1/12 हिस्सा देवकीशन पुत्र श्रीराम हिस्सा 1/24, भँवरी देवी w/o शांतिलाल हिस्सा 1/24 एवं बाबु s/o वरदीशंकर 1/8 हिस्सा, व गंगाशंकर s/o वरदीशंकर 1/8 हिस्सा दर्ज किए जाने पर इन्द्राज पालना किया जाना उचित होगा। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात रा. वि. प्रकरण सं. 301/99 उनवान अमृतलाल उर्फ अमरचंद बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 136 LRA में दिनांक 14.03.2016 को पारित आदेश की पालना में प्रार्थी अमृतलाल के वारिसान का

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज

या हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
	का बाडगतस्त्र भूमि सेवाडी के खसरा नं. 1198 रकबा 1.22 हैक्टर के 1/4 हिस्सा में प्रार्थी के वारिसान का नाम दर्ज कर पालना सुनिश्चित करें। रेकॉर्ड में अमल दरामद के समय पटवारी हल्का सेवाडी द्वारा तैयार मौका फर्द, रिपोर्ट व तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित अनुसार वर्तमान अधिकार अभिलेखों में दर्ज खातेदारान के नाम व हिस्साकस्सी को भी संशोधित किया जावें। पटवारी हल्का सेवाडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय मौका फर्द को प्रस्तुत आदेश का भाग माना जावें। आदेश की पालना में रेकॉर्ड में अमल दरामद के लिए तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का सेवाडी को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर रेत कम हो।	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज